

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया - गांधीनगर

एसटीपी/ईएचटीपी योजना से ईओयू योजना में रूपांतरण की प्रक्रिया

एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयां मौजूदा एफटीपी के खंड 6.18(बी) के अनुसार एसटीपी/ईएचटीपी योजना से ईओयू योजना में परिवर्तित हो सकती हैं। उपरोक्त के लिए एनओसी प्राप्त करने के लिए एसटीपीआई के पास दाखिल किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं।

एसटीपीआई को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

1. एसटीपी/ईएचटीपी योजना से ईओयू योजना में रूपांतरण के लिए औपचारिक अनुरोध, जिसमें रूपांतरण के कारणों का विस्तार से उल्लेख हो।
2. एसटीपी/ईएचटीपी योजना से ईओयू योजना में रूपांतरण के लिए बोर्ड का संकल्प।
3. सीए प्रमाणित प्रदर्शन विवरण अनुलग्नक 23-ए और स्व-प्रमाणित अनुलग्नक-21।
4. निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना:
 - अनुमति पत्र और उसके बाद एलओपी अनुमोदनों का नवीनीकरण
 - कानूनी वचनबद्धता (एलयूटी) और पूरक कानूनी वचनबद्धता
 - प्रमाणित पूंजी और स्वदेशी वस्तुओं की सूची।
 - मूल ग्रीन कार्ड।
5. ऐसे रूपांतरण के लिए ईओयू के कार्यालय में दायर आवेदन की प्रति।
6. निर्धारित प्रारूप में ईओयू में रूपांतरण के संबंध में 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर (नोटरीकृत) पर कानूनी वचनबद्धता (एलयूटी) (अनुलग्नक-एलयूटी_ईओयू में रूपांतरण देखें) - (अंतिम निकास के दौरान प्रस्तुत किया जाना है)।

अनुमोदन प्रक्रिया :

उपर्युक्त दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात निम्नलिखित मापदंडों का सत्यापन किया जाएगा :-

- वैधानिक अनुपालन, जैसे कि एपीआर, क्यूपीआर, आदि प्रस्तुत करना।
- स्थापना की तिथि से निर्यात दायित्व / एनएफई स्थिति।
- सॉफ्टवेक्स प्रस्तुतीकरण/प्रमाणन स्थिति।
- सेवा शुल्क बकाया राशि, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण।

यदि उपरोक्त पैरामीटर सही/पूरे पाए जाते हैं, तो रूपांतरण के लिए एनओसी जारी की जाएगी।

रूपांतरण के लिए एनओसी जारी करने के बाद, इकाई को संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना होगा और ईओयू योजना के तहत संचालन के लिए अनुमोदन/एलओपी प्राप्त करना होगा। सीमा शुल्क विभाग से ईओयू योजना में जाने के संबंध में एलओपी/अनुमोदन और पुष्टि की प्रति जमा करने पर, एसटीपी/ईएचटीपी योजना से अंतिम निकास जारी किया जाएगा।

नोट:-यदि इकाई निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा नहीं करती है या एफटीपी के अनुसार कोई गैर-अनुपालन देखा जाता है, तो मामले को न्यायनिर्णयन कार्यवाही के लिए लिया जाएगा।

प्रारूप :-

1. [अनुलग्नक \(एसटीपी\) ए23](#)
2. [अनुलग्नक23-ए \(ईएचटीपी\)](#)
3. [अनुलग्नक 21](#)
4. [अनुलग्नकएलयूटी - ईओयू में रूपांतरण किसी भी मामले में.](#)

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए :

हमें मेल करें : Gnr.Exim@stpi.in

संपर्क करें 66748531-079, 32